न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-470RAAJodhpur2021-154RTA223 Nimbaram ors Vs Premaram etc

01. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम
02. कालुराम पुत्र पुरखाराम
03. नोजाराम पुत्र पुरखाराम
04. चुनाराम् पुत्र पुरखाराम
05. श्रवणराम पुत्र पुरखाराम
06. सुरजाराम पुत्र भोमाराम
07. किशनाराम पुत्र भोमाराम
08. हीराराम पुत्र भोमाराम
09. शेराराम पुत्र किस्तुराराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. प्रेमाराम पुत्र करनाराम
2. सीताराम पुत्र करनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र करनाराम
4. लक्ष्मी पत्नी करनाराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

5. भंवरलाल पुत्र भोमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- ग्राम कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
6. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैंक शाखा पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
7. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा औसियां, जिला जोधपुर।
8. शाखा प्रबंधक एच डी एफ सी बैंक चौपासनी रोड़, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 977/2020 प्रेमाराम व अन्य बनाम निंबाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 24 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 977/2020 अनवान प्रेमाराम व अन्य बनाम निंबाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 941 रकबा 35.04 बीघा, खसरा नं. 942 रकबा 64.03 बीघा एवं खसरा नं. 977 रकबा 36. 17 बीघा ग्राम कड़वासरा नगर तहसील लोहावट के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। वादीगण के वादपत्र से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में बंटवाड़े का एक शैडयूल पेश किया तथा वाद की इस्तदुआ में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से चार को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक ता चार के साथ पेश जमाबंदी में खातेदारों का कोई हिस्सा अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार किस आधार पर घोषित किया है, यह भी निर्णय में अंकित नहीं है, जबकि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट्स संख्या एक ता चार का कोई कब्जा काश्त नहीं है, संपूर्ण भूमि पर केवल अपीलार्थीगण का कब्जा है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं किये। मौके पर ट्यूबवेल खुदी हुई है एवं चारो ओर तारबंदी की हुई है। इस भूमि के बदले रेस्पो. को खसरा नं. 976 व 935 की भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को दिनांक 27.09.2021 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर था। अपीलार्थीगण दिनांक 08.10.2021 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिया जाना चाहिए था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिये बिना उसी दिन वादीगण के शपथ-पत्रों को आधार मानकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। वादग्रस्त आराजी में यह विवाद का विषय है कि जमाबंदी में दर्ज सहखातेदारान् का हिस्सा कितना-कितना है। इस संबंध में अपीलार्थीगण को संपूर्ण अवसर दिया जाकर उसके बाद में ही गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर उसके बाद में ही गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है जो विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि अभी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर आपको बुला लिया जावेगा। अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में अपीलार्थीगण ने अधिवक्ता से संपर्क किया तो बताया गया कि अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है। सभी पत्रावलियों में कोई कार्यवाही नही हो रही है। दिनांक 15.12.2021 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण को बताया गया कि इन खसरों के संबंध में निर्णय एवं डिक्री पारित हो गया है, तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 17.12.2021 को नकल हेतु आवेदन किया जो उसी दिन नकले प्राप्त होने पर अपीलांट्स को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि वह अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वे दिनांक 18.03.2020 को विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 08.01.2021 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा धारा 148 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 को प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि वे आगामी पेशी पर अपना जवाब प्रस्तुत कर देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा आगामी पेशी पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी भोमा, करना, पुखिया पिसरान् चूना कौम कुम्हार के नाम से दर्ज रही है। रेस्पोडेंट्स करनाराम जी के वारिसान् है, इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा निहित है। हिस्से के संबंध में पक्षकारान् में कोई विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरुआत से ही रही है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील होने वे दिनांक 18.03.2020 को जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति में सम्यक अवसर प्रदान किये जाने पर भी उनके ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 08.01.2021 को उनका जवाब बंद किया गया तथा आगामी पेशी पर वादी की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण/अपीलांट्सकी ओर से दिनांक 12.04.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर पुनः जवाब का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक ओर अवसर दिया गया, किंतु उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुनः जवाब बंद किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/रेस्पो. को वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का खातेदारा घोषित किया जाकर तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा किस आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स की ओर से फार्म संख्या तीन के साथ प्रस्तुत पर्चा लगान सेटलमेंट विभाग, राजस्थान, ग्राम पल्ली, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर के पर्चा नंबर 403 के मुताबिक वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी खसरा नं. 942 रकबा 64.03 बीघा, खसरा नं. 977 रकबा 36.17 बीघा वक्त बंदोबस्त भोमा, करना, पुखिया पिसरान् पूना कौमा कुम्हार के नाम से दर्ज है तथा उक्त पर्चा वादग्रस्त आराजी में सभी का बराबर हिस्सा दर्ज है। रेस्पोडेंट्स करनाराम के वारिसान् होने से वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा विरासतन् निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा अपीलांट्स पक्षकारान् के हिस्से के संबंध में उठाये गये उज्र से सहमत नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेंट्स के दर्ज हिस्से अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 977/2020 अनवान प्रेमाराम व अन्य बनाम निंवाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-470RAAJodhpur2021-154RTA223 Nimbaram ors Vs Premaram etc

अपीलाण्ट

01. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम
02. कालुराम पुत्र पुरखाराम
03. नोजाराम पुत्र पुरखाराम
04. चुनाराम पुत्र पुरखाराम
05. श्रवणराम पुत्र पुरखाराम
06. सुरजाराम पुत्र भोमाराम
07. किशनाराम पुत्र भोमाराम
08. हीराराम पुत्र भोमाराम
09. शेराराम पुत्र किस्तुराराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. प्रेमाराम पुत्र करनाराम
2. सीताराम पुत्र करनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र करनाराम
4. लक्ष्मी पत्नी करनाराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

5. भंवरलाल पुत्र भोमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- ग्राम कड़वासरा नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
6. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैंक शाखा पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
7. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा औसियां, जिला जोधपुर।
8. शाखा प्रबंधक एच डी एफ सी बैंक चौपासनी रोड़, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 977/2020 प्रेमाराम व अन्य बनाम निंबाराम इत्यादि

.....

दावा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह अपील बतारीख 24 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री किसनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 977/2020 अनवान प्रेमाराम व अन्य बनाम निंबाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अक्टूबर 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर